न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

(3)

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–04/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

संतरो देवी पत्नी स्व० श्री संतोष कुमार जाति स्वामी निवासी फतेहगढ खिलेरीबास, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

विधा देवी पत्नी स्व० श्री धौंकलराम जाति स्वामी निवासी फतेहगढ खिलेरीबास, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ (राज0)

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांक 04.03.2022 द्वारा भरण पोषण अधिकरण एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ, प्रकरण संख्या 14/2017, शीर्षक विद्या देवी बनाम संतरो देवी जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/प्रत्यर्थी स्वीकार किया गया। बमुराद मनसुखी आदेश एंव स्वीकार किये जाने अपील

निर्णय **दिनांकः–18.01.2023**

1. यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीया के विरूद्ध इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थीया का वर्तमान पता उपरोक्तानुसार है। यह कि प्रार्थीया एक गरीब 65 वर्षीय बुजुर्ग बीमार असहाय महिला है व प्रार्थीया के पास अपने जीवन यापन का कोई साधन नही है। प्रार्थीया के पति धौंकलराम एव पुत्र संतोष कुमार की विवाहिता पत्नि है। प्रार्थीया के पति की कृषि भूमि पर अप्रार्थी ने कब्जा कर रखा है। अब प्रार्थीया पूर्ण रूप से दूसरो की दया पर ही आश्रित है।यह कि प्रार्थीया के पास अपना जीवन यापन करने का कोई जरिया नहीं है। अप्रार्थीया साधन सम्पन्न औरत है जो प्रार्थीया की पारिवारिक कृषि भूमि पर कब्जा जमाकर ऐशो आराम की जिन्दगी जी रही है। प्रार्थीया ने कई बार अप्रार्थी से अपना जीवन यापन करने व भरण पोषण हेतु राशि देने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सरासर इंकार कर दिया। यह कि प्रार्थीया ने बरोबरू गवाहान श्योपतराम पुत्र श्री मोटाराम एव दलीप खिलेरी के सामने अप्रार्थी से भरण पोषण की मांग की किन्तु अप्रार्थी ने इंकार कर दिया। यही वाद का कारण है। यह कि अप्रार्थी, प्रार्थीया की पारिवारिक कृषि भूमि करीब पौने 17 बीघा पर काश्त करती है, अतिरिक्त आय प्राप्त करती है इस प्रकार अप्रार्थी सलाना करीब 5,00,000/– रूपये अखरे पांच लाख रूपये की आय अर्जित करती है। वह प्रार्थीया का भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। किन्तु जानबूझकर नहीं कर रही है यह कि प्रार्थीया अपने जीवन के अंतिम दिन दुःखद स्थिति में व्यतीत कर रही है, अपने आत्म सम्मान को खोकर मजबूरी में दूसरो लोगो पर आश्रित रहना पड रहा है। प्रार्थीया को समय पर दवा दारू भी नहीं मिल रही है। अप्रार्थी, प्रार्थीया का भरण पोषण करने में पूर्ण सक्षम है लेकिन जानबूझकर नहीं कर रही है। अप्रार्थी से भरण पोषण बाबत निवेदन किया तो उसने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के साफ इंकार कर दिया. यही वाद का कारण है। यह कि इस प्रकार अप्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थीया का परित्याग कर रखा है एंव जानबूझकर भरण पोषण भी नहीं कर रही है। यह कि हमारे मध्य कोई दुरभिसंधि नही है।
2. यह कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थीया का पता विधि प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण अस्वीकार है। यह कि दफा 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कि प्रार्थीया बीमार व असहाय हो, असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया के ससुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(9)

व प्रार्थीया के पति का देहान्त होना एंव अप्रार्थीया, प्रार्थीया की पुत्रवधू होना स्वीकार है। यह कथन कि अप्रार्थीया ने प्रार्थीया के पति की कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा हो, असत्य एंव मनगढत होने से अस्वीकार है। यदि मिन अप्रार्थीया ने प्रार्थीया के पति की कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा हो तो प्रार्थीया फौजदारी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीया के पास चक 22 एचएमएच पटवार हल्का फतेहगढ़ के खाता संख्या 234/211 पत्थर नम्बर 108/295 मुरब्बा नम्बर 89 किला नम्बर 24/1, 25 कुल 0.422 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थीया ठेके पर देकर सही प्रकार से जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीया ने केवल मात्र अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए यह कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अप्रार्थीया माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.06.2015 के अनुसार उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में 3,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करवा रही है। इस प्रकार प्रार्थीया पर ऐशो आराम के लगाए गए आरोप स्वयं मिथ्या साबित होते है। यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कि प्रार्थीया ने शोपतराम पुत्र श्री मोटाराम व दलीप खिलेरी के समक्ष भरण पोषण की मांग की हो, असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। उक्त गवाहान अप्रार्थीया से रंजिश रखने के कारण प्रार्थीया की उक्त कार्यवाही में सहयोग कर रहे है। प्रार्थीया को किसी प्रकार का वाद कारण हासिल नहीं है। यह कि दफा 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है और अप्रार्थीया के स्वयं के पास कृषि भूमि के अलावा आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। अप्रार्थीया द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण भी कठिनाईयों से किया जा रहा है। अप्रार्थीया स्वयं एंव अपने दो बच्चों, एक पुत्री व एक पुत्र का भरण पोषण एंव उनकी शिक्षा का खर्च भी कठिनाईयों से उठा रही है क्योंकि अप्रार्थीया के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है एंव प्रार्थीया द्वारा 5,00,000/– रूपये सलाना आय अर्जित होने के कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कि दफा 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। उक्त दफा का जवाब पूर्व में दिया जा चुका है। प्रार्थीया, मिन अप्रार्थीया के परिवार से रंजिश रखती है एवं अप्रार्थीया के विरूद्ध बिना किसी औचित्य के मिन अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यवाही करती रहती है। प्रार्थीया को किसी प्रकार का कोई वाद कारण हासिल नहीं है। यह कि दफा 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया ने प्रार्थीया को साथ रखने के लिए काफी प्रयास किये है क्योकि प्रार्थीया मिन अप्रार्थीया की सास है. इस नाते पंचायत व राजीनामें के आधार पर भी मिन अप्रार्थीया ने प्रार्थीया को कई बार साथ रहने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रार्थीया का अडियल व्यवहार व अप्रार्थीया से रंजिश रखने के कारण प्रार्थीया, अप्रार्थीया से अलग निवास कर रही है।

3. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही के सम्बन्ध में अपीलार्थीया को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 04.03.2022 के जरिए स्वीकार कर लिया गया। अपीलार्थीया इस आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है

(i) कि प्रशनगत आदेश दिनांक 04.03.2022 अधीनस्थ न्यायालय कतई गलत विधि विरूद्ध एवं अपीलार्थीया को साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(ii) कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिको को भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में वर्णित विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारो को साक्ष्य का अवसर प्रदान करने उपरांत आदेश पारित करने के प्रावधान दिए गए है, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर अपीलार्थीया को प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश पूर्णत अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

(iii) कि अधिनियम की धारा 6 (6) के अनुसार धारा 5 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व समझौता अधिकारी के समक्ष मामले को रेफर किया जाना आवश्यक था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को समझौता अधिकारी के समक्ष रेफर किए बिना ही अंतिम आदेश कर दिया गया। जिससे भी यह स्पष्ट है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

(iv) कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचनो को बिना किसी साक्ष्य के सही होना मानकर अपना आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी अभिवचन व साक्ष्य के स्वीकार किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

(v) कि प्रत्यर्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 25 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा याचित अनुतोष से बाहर प्रार्थीया के नाम दर्ज कृषि भूमि रास्ता, खाला के साथ किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करने हेतु पाबंद करने का अनुतोष प्रदान किया है जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयो में मामले लम्बित है। प्रार्थीया माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार प्रतिवर्ष प्रतिभूति राशि माननीय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष जमा करवा रही है, उक्त तथ्यों का उल्लेख भी प्रार्थीया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थीया व वकील प्रत्यर्थी उपस्थित बहस सूनी गई। वकील अपीलार्थीया ने बहस में अवगत करवाया कि अपीलार्थी एक बेवा औरत है। अपीलार्थीया के पति की कृषि भूमि का प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा अपीलार्थीया माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.06.2015 के अनुसार कृषि भूमि के सम्बध में 3000 रू प्रति बीघा प्रति वर्ष प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करवा रही है। इसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही है। वगैरह–वगैरह ।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तथ्य बताये कि प्रत्यार्थी असहाय वृद्ध औरत है तथा उसके पति एवं पुत्र का देहान्त हो चुका है। इस कारण जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। स्वयं, पति एवं पुत्र की भूमि पर संतरो देवी ने कब्जा कर रखा है। वगैरह–वगैरह ।

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर भरण–पोषण अधिनियम 2007 के अर्न्तगत न्यायालय भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 को यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र अपीलीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ